**लघु पैमाने की उद्यम इकाइयों के लिए छूट आदेश**

**औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अनुच्छेद 8 ससÀ**

**(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग 2 की धारा 3 के उप-धारा ¼11½ में प्रकाशित)**

रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय

(रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग)

नई दिल्ली, मार्च 2] 1995

**आदेश**

एस.ओ. 134(ई ) – केन्द्रीय सरकार, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक निर्माणी इकाई जो कि एक लघु पैमाने की उद्यम इकाई के रूप में, किसी भी केन्द्रीय तकनीकी प्राधिकरण अथवा राज्य व्यवसायिक (विकास एवं विनियम) निदेशालय, अधिनियम, 1951 (1951का 65) के साथ पंजीकृत है, को उक्त आदेश के अनुच्छेद 8 जो कि अनुसूचित विनिर्मिती के खुदरा मूल्य के निर्धारण से संबंधित है, यदि ऐसी अनुसूचित विनिर्मिती इस आदेश के अनुच्छेद 9 के अंर्तगत नहीं आती जो कि अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम मूल्यों के निर्धारण से संबंधित हैं, के प्रचालन से निम्न शर्तों के अध्यधीन छूट देती है:

- यह एक स्वतंत्र इकाई /कंपनी है एवं किसी भी प्रकार से अन्य किसी उपक्रम की सहायक अथवा स्वामित्व में अथवा नियंत्रि नहीं है जिसे औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के द्वारा ऐसी कोई छूट नहीं मिली हुई है।
- विनिर्मिती, किसी सबंधित इकाई/ कंपनी के अपने ब्रान्ड नाम एवं व्यापारिक चिन्ह अथवा किसी अन्य लघु पैमाने की उद्यम इकाई के ब्रान्ड अथवा व्यापारिक नाम से विपणन होती हैं।
- विद्यमान इकाई की दशा में, लघु पैमाने की उद्यम इकाई के पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति सहित ऊपर दी गई दोनों शर्तों पर स्वीकृति की घोषणा सरकार को, इस अधिसूचना की तिथि के 60 दिनों के अन्दर एवं नयी इकाईयों की दशा में, उत्पादन आरंभ करने की तिथि के 60 दिनों के अन्दर भेजनी होगी।

टिप्पणी :

1. एक लघु पैमाने की उद्यम इकाई अथवा कंपनी को ऊपर दी गई छूट, इसके द्वारा एक लघु इकाई के रूप में कार्य रोकने के पश्चात् मान्य नहीं होगी।
2. यह छूट केवल उन उत्पादों के लिए प्रदान की गई है जो उनके अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के अंर्तगत अपने कारखाने में अथवा अन्य किसी लघु पैमाने की उद्यम इकाई के कारखाने में निर्मित किए जाते हैं।
3. इकाई/कंपनी जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए छूट प्राप्त कर रही है, वह दंडात्मक कार्यवाही एवं पूर्वव्यापी प्रभाव से सरकार को जुर्माना देने के लिए दायी होगी।

मिसिल संख्या 5(4)/95–पी. I.II
(के एल गुप्ता)
भारत सरकार के अवर सचिव